I.

कार्यालय जिला खनिज संस्थान न्यास, राजनांदगांव (छ.ग.)

आदेश

क्रमांक / 305 / डी.एम.एफ. / 2017 राजनांदगांव, दिनांक 28 / 12 / 2017

छ.ग. शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 7–34 / 2016 / XII दिनांक 11.07.2017 अनुसार छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास, 2015 के नियम 26 के उपनियम (4) के तहत् राजनांदगांव जिला खनिज संस्थान न्यास हेतु सहायक ग्रेड–03 के पद पर निम्नलिखित उम्मीदवारों की संविदा नियुक्ति निम्न शर्तो के अधीन **28 फरवरी 2018** तक किया जाता है:–

क्रमांक	चयनित अभ्यर्थी का नाम	पिता / पति का नाम	पत्र व्यवहार का पता	वर्ग	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
1	ताम्रध्वज साहू	श्री सुरेश कुमार साहू	शिवनाथ वार्ड नं.–51, हरदी, राजनांदगांव, जिला–राजनांदगांव	अनारक्षित मुक्त	
2	प्रदीप कुमार पडोटी	श्री सुरेन्द्र सिंह पडोटी	ग्राम–पंडरीखुर्द पो.–कौड़ीकसा, तह. –आं. चौकी, जिला–राजनांदगांव	अजजा. मुक्त	

प्रमाणित किया जाता हैं कि नियुक्ति हेतु आरक्षण नियम का पालन किया गया हैं।

नियम एवं शर्तें :–

1. संविदा पर प्रतिमाह रू. **12675.00** एकमुश्त वेतन की पात्रता होगी।
2. संविदा नियुक्ति **28.02.2018** तक के लिए होगी। कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर एवं शासन से पद निरंतरता की स्वीकृति प्राप्त होने पर संविदा नियुक्ति पुनः की जा सकेंगी।
3. यह नियुक्ति पूर्ण रूप से अस्थाई है।
4. संविदा अवधि में 18 दिनों के अनुपातिक रूप से आकस्मिक अवकाश तथा 03 दिनों के ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी। अन्य कोई अवकाश देय नहीं होगा।
5. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे।
6. संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
7. सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा शासकीय सेवक के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्यु–लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
8. संविदा नियुक्त कर्मचारी का गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जायेगा, ताकि यदि आगामी वर्ष हेतु पुनः नियुक्ति दी जानी हो तो इसके आधार पर कार्य का मूल्यांकन हो सके।
9. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्र यदि असत्य पाये जाते हैं, तो संबंधित को तत्काल पद से पृथक कर आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जायेगा।
10. यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र. / एफ–9–1 / 2012 / 1–3, रायपुर, दिनांक 17.01.2013 द्वारा जारी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के अधीन होगी।

कलेक्टर एवं अध्यक्ष,
शासी परिषद, जिला खनिज संस्थान न्यास,
राजनांदगांव(छ.ग.)

क्रमांक / 306 / डी.एम.एफ. / 2017 राजनांदगांव, दिनांक 20 / 12 / 2017

प्रतिलिपि :–

1 व्यवस्थापक छ.ग. जिला खनिज संस्थान न्यास एवं सचिव, छ.ग. शासन खनिज साधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

2 संचालक, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, छ.ग.इंद्रावती भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

3 सदस्य सचिव शासी परिषद, जिला खनिज संस्थान न्यास, एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत राजनांदगांव को सूचनार्थ।

4 मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य, मेकाहारा, जिला राजनांदगांव को सूचनार्थ एवं शारीरिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र प्रदाय किए जाने हेतु अग्रेपित।

5 श्री / श्रीमति / कु. .... पता .... की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ। **दिनांक 28/12/2017** तक आवश्यक प्रमाण पत्रो सहित कार्यालय जिला खनिज संस्थान न्यास (जिला पंचायत) राजनांदगांव में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। निर्धारित अवधि तक कर्यभार ग्रहण नहीं करने पर नियुक्ति स्वयमेव समाप्त माना जायेगा।

कलेक्टर एवं अध्यक्ष,
शासी परिषद, जिला खनिज संस्थान न्यास,
राजनांदगांव(छ.ग.)